

नं॥ 25

पत्रावली केरा द्वारा वकील वादी उपस्थित थे,  
पत्रावली में पूर्व में बहस सुनी जा चुकी थी,  
प्रस्तुत बहस, वादियों के द्वारा प्रस्तुत बाद एलावेजी  
साक्ष्य व गदसीलदार फलैर से प्रस्तुत जवाब  
दावे के आधार पर अवलोकनानुसार वादी  
का वाद टिकी/स्वीकार किया जाता है,  
विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित होकर गदरीर  
गदसीलदार फलैर को जारी हो। पत्रावली  
फैलल शुमार होकर हज नम्बर ले कम  
हो। आदेश सुले न्यायालय में सुनाया  
गया।

अपरखण्ड अधिकारी  
साँभर लेक

